न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 689 सन 2020

अनवान :–

1. हरीराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पत्नी चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
3. चौथा पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
5. कैलाश पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
6. सरस्वती पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
7. सन्तो पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
8. विनोद कुमार पुत्र राजोदेवी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. महेन्द्र पुत्र राजोदेवी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर।
10. घोटकी पुत्री राजोदेवी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुगासर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा डुगासर के खाता सांख्या 38/35 की कुल 28.2740हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता चेतनराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता चेतनराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है चेतनराम पुत्र भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एवं चेतनराम पुत्र भूराराम की मृतक पुत्री राजोदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है इसप्रकार चेतनराम पुत्र भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो चेतनराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 वादी की बहने एवं मृतक बहन राजोदेवी के वारिसान है एवं चेतनराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि चेतनराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पित है चेतनराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीया एवं मृतक पुत्री राजोदेवी के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो चेतनराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही गौजा डुमासर के खाता संख्या 38/35 की कुल 28.2740हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता चेतनराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता चेतनराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है चेतनराम पुत्र भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एवं चेतनराम पुत्र भूराराम की मृतक पुत्री राजोदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है इसप्रकार चेतनराम पुत्र भूराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो चेतनराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 वादी की बहने एवं मृतक बहन राजोदेवी के वारिसान है एवं चेतनराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही गौजा डुमासर के खाता संख्या 38/35 की कुल 28.2740हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता चेतनराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि चेतनराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है चेतनराम पुत्र भूराराम का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि पत्नी /पुत्र/पुत्रीया एवं मृतक पुत्री राजोदेवी के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो चेतनराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में चेतनराम पुत्र भूराराम का मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अनुसार चेतनराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुगासर के खाता संख्या 38/35 की कुल 28.2740हैक में से मृतक चेतनराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरीराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कमला पत्नी चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. चौथा पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. कैलाश पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
6. सरस्वती पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. सन्तो पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
8. विनोद कुमार पुत्र राजोदेवी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. महेन्द्र पुत्र राजोदेवी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
10. घोटकी पुत्री राजोदेवी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 689 सन 2020 निर्णय दिनांक– 01/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा डुमासर के खाता संख्या 38/35 की कुल 28.2740हैक में से मृतक चेतनराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner